दैनिक भास्कर

नकली DAP खाद का हो रहा था कारोबार:किसान की शिकायत पर नींद से जागा कृषि अमला, बिना लाइसेंस के नकली खाद बेचने वाले पर दर्ज किया मामला

भोले-भाले किसानों को नकली नकली खाद बेचने का मामला सामने आया है। चौरई के केदारपुर में एक किसान की सतर्कता से ऐसे कारोबारी पर कृषि विभाग ने जांच के बाद मामला दर्ज करवाया है।

दरअसल गांव में रहने वाले के सामने उक्त कारोबारी से 15 बोरी डीएपी खाद खरीदी थी, जब उसने इसे खेतों में डाला तो फसल पर कोई फायदा नहीं हुआ और फसल खराब हो गई। इसके बाद में कृषि विभाग में दुकानदार की शिकायत दर्ज कराई ।

इसके बाद जब कृषि विभाग की टीम जांच करने पहुंची तो पता चला कि उर्वरक बेच रहा दुकानदार के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। वह जो खाद बेची है वह अमानक स्तर की है।

बताया जा रहा है कि निलेश के पास उर्वरक बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है बावजूद इसके वह लंबे समय से खाद और बीज का व्यवसाय कर किसानों को चुना लगा रहा था। अवैध रूप से खाद का व्यवसाय करने वाली निलेश पिता गोपी साहू के विरुद्ध कृषि विभाग की टीम ने एफ आई आर दर्ज कराई है।

कृषि विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल

पूरे जिले में अवैध रूप से अमानक स्तर के खाद और बीज की बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं । ऐसे में खरीफ सीजन के पहले कृषि विभाग के अमले के द्वारा की जाने वाली जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कृषि विभाग की टीम जांच के नाम पर खानापूर्ति क्यों करती है।

जब केदारपुर में बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री का मामला सामने आया तो कहा जा सकता है कि इसमें स्थानीय कृषि विभाग की निष्क्रियता के चलते यह कारोबार होता रहा। लेकिन कृषि विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

Source: https://www.bhaskar.com/local/mp/chhindwara/news/agricultural-staff-woke-up-from-sleep-on-the-complaint-of-the-farmer-a-case-was-registered-against-the-seller-of-fake-fertilizers-without-a-license-128681868.html